BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 05 सितम्बर, 2024 **CRACKDOWN BULANDSHAHR** **थाना सलेमपुर**

बाइक सवार बदमाशों से थाना सलेमपुर पुलिस की हुई मुठभेड़, जवाबी कार्यवाही में 01 बदमाश घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस, एक बाइक व एक मोबाइल फोन बरामद।

जनपद में तलाश वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आंज दिनांक 05.09.2024 को थाना सलेमपुर पुलिस टीम चिट्टा गेट के पास संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग कर रही थी तभी एक बाइक पर 03 संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिये जिनसे पुलिस टीम द्वारा रोकने का इशारा किया गया तो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की जिसमे एक गोली सरकारी गाडी में दाहिने तरफ लाइट के नीचे लगी तथा बदमाश बाइक को तेजी से मोडकर सलेमपुर की तरफ भागने लगे, पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया तो सुरजावली गांव से आगे बम्बे के पास गीली जमीन होने के कारण उनकी बाइक फिसल कर गिर गयी, बदमाशों द्वारा अपने आपको पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किये गये। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश दोनो पैरो में गोली लगने से घायल हो गया जिसको घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया व 02 अन्य बदमाश खडी ईख के खेत का फायदा उठाते हुए भागने में सफल रहे जिनकी काम्बिंग कर गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान **1. बबलू उर्फ बलवीर पुत्र भगंवत निवासी ग्राम मंसूरपुर थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर के रूप में हुई है।** घायल बदमाश को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। **उल्लेखनिय है कि उक्त बदमाश शातिर किस्म का अपराधी हैं। जिसके द्वारा अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर दिनांक 30-08-2024 को थाना अहमदगढ क्षेत्रान्तर्गत गांव ढक नंगला के पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना अहमदगढ पर मुअसं-215/24 धारा 103(1),61(2) बीएनएस पंजीकृत हैं।**

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. बबलू उर्फ बलवीर पुत्र भगंवत निवासी ग्राम मंसूरपुर थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1- 01 पिस्टल 32 बोर, 02 जिंदा, 02 खोखा कारतूस।
2- 01 मोटरसाइकिल (बिना नम्बर प्लेट)
3- 01 मोबाइल फोन

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना सलेमपुर पर मुअसं-216/24 धारा 109,317(5),3/25/27 बीएनएस पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

अभियुक्त बबलू उर्फ बलवीर का आपराधिक इतिहास-

1. मुअस- 748/16 धारा 120बी/395/397/412 भादवि थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअस-754/16 धारा 25 शस्त्र अधि0 थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअस- 13/17 धारा 2/3 गैगस्टर अधि0 थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं-215/24 धारा 103(1),61(2) बीएनएस थाना अहमदगढ जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअसं-216/24 धारा 109,317(5),3/25/27 बीएनएस थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- श्री अतुल कुमार चौहान प्रभारी निरीक्षक थाना सलेमपुर।

2- उ0नि0 मनोज दीक्षित चौकी प्रभारी चिट्टा

3- है0का0 जितेन्द्र, का0 रामवीर

मीडिया सेल बुलंदशहर